/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 19.02.2020

निगरानी संख्या 3 / 2020

कालू पुत्र अनोख्या जाति कंजर निवासी केशव बस्ती चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..................निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
3. सोनू कर्मावत पुत्र मूलचन्द कर्मावत जाति कंजर निवासी कंजर कोलोनी, ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री बाल किशन उपाध्याय एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री श्रीदास सिंह एडवाकेट

दिनांक 26/7/22

निर्णय

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जे शुदा भूखण्ड को बिना प्रार्थी की जानकारी में आये तथा बिना हरखास आम का नोटिस जारी किये गलत तथ्य के आधार पर मनमर्जी से ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या–3 को आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.08.201 जारी किया जाकर निगरानीगुजार के कब्जा खुदा भूखण्ड पर अवैध रूप से निर्णय पारित कर पट्टा जारी किया है। यह है कि आलोच्य भूखण्ड पावडेरा फाटक से केशव बस्ती को जाने वाले सी0सी0 रोड के सहारे स्थित कीमती भूखण्ड है जिस पर न तो कभी विपक्षी सोनू कर्मावत का कभी कब्जा रहा और ना ही उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण अप्रार्थी का कभी रहा फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई सार्वजनिक नोटिस हर खास आम का जारी किये गुपचुप तरीके से विपक्षी संख्या –3 को पटटा जारी कर दिया गया है। यह है कि निगरानी गुजार द्वारा पूर्व से ही इस भूमि को ग्राम पंचायत से मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हुआ था जिसके बाबत ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थीगण को आश्वासन भी दिया गया था कि कुछ समय बाद इस भूमि का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया जायेगा परन्तु बाद में बिना प्रार्थी को सूचना दिये विपक्षी संख्या–3 के नाम पटटा जारी कर दिया गया अतः अपीलार्थी की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 24.07.2019 की पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.08.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय व सम्पूर्ण पट्टा पत्रावली में कहीं भी यह

अति. जिला कलेक्टर

तथ्य अंकित नहीं है कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा आलोच्य पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में जारी किया जबकि आवंटी सोनू कर्मावत प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 की भूमि को अपनी आवंटित भूमि बताकर जबरदस्ती निर्माण पर आमादा है। इससे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण करने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा की अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को पहुंचने की संभावना है। अंत में वकील प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से जारी पट्टा संख्या 17 जारी दिनांक 28–08–2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी वकील द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा प्रत्यर्थी नं03 (अप्रार्थी) को नियमानुसार आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया गया तथा पट्टा जारी कर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण इजाजत दी गई। अप्रार्थी ने ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। यह है कि ख0नं0 1369 रकबा 0.55 है0 गै0मु0आबादी ग्राम चौथ का बरवाडा में है जिसमें अप्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों पिंकू तिलोर व सिंकू तिलोर को ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर उसके पक्षकार को राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व विपक्षी गणों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दी गई दलील, बहस व तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध प्रार्थी को बिना सूचना दिये प्रार्थी के काफी साल से कब्जे में चले आ रहे भूखण्ड पर विपक्षी संख्या–3 को पट्टा जारी करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिये तर्क कि ''अप्रार्थी निगरानीकर्ता के ख0नं0 1388 में अवैध रूप से निर्माण करवा रहा है'' के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर भी यह पाया जाता है कि पट्टाशुदा भूमि निगरानीकर्ता के ख0नं0 1388 रकबा 0.28 है0 में स्थित नहीं होकर आबादी भूमि ख0नं0 1369 में स्थित है तथा निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी की भूमि के मध्य ख0नं0 1393 गै0मु0 रास्ता स्थित है। अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 24.07.2019 के आधार पर जारी पट्टा क्रमांक 17 जारी दिनांक 28.08.2019 में किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने कारण निगरानीकर्त्ता द्वारा [illegible] निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:16 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर